सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 03, शुक्रवार, शाके 1944-मार्च 24, 2023
Chaitra 03, Friday , Saka 1944- March 24, 2023

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

आदेश

जयपुर, मार्च 10, 2023

संख्या एफ 1/ RTU/यूनियन बहाली/2023/4368 :-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.1/ आरटीयू/रिर्टन/2006-17/निरस्तीकरण/ 19/18931 दिनांक 16.7.2019 के द्वारा पंजीकृत व्यवसायिक संघो को व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा-28 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म "डी" में वार्षिक आय-व्यय विवरण प्रस्तुत नही करने के कारण अधिनियम की धारा-10 के प्रावधानुसार उनके पंजीयन को निरस्त (रद्द) कर दिया गया था।

उक्त आदेश के साथ संलग्न सूची मे क्रम संख्या 265 में अंकित श्रम संघ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उन्हे दिनांक 31.1.2019 एवं दिनांक 30.4.2019 को जारी किया गया कारण बताओं (शॉ-काज) नोटिस प्राप्त नही हुआ तथा दिनांक 19.6.2019 को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की जानकारी भी नही हो पाई। साथ ही यह भी निवेदन किया कि पूर्व पदाधिकारियों को नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण नियत समय पर संगठन का आय-व्यय ब्यौरा प्रस्तुत नहीं कर पाये। भविष्य में इसकी पुनर्रावृत्ति नहीं करेगें तथा नियत समय पर रिर्टन भिजवायेगे। संगठन निरन्तर आम सभा बैठके आयोजित कर अपने सदस्यों की समस्याओं का निराकरण कर रहा है तथा चुनाव आदि की कार्यवाही भी सम्पादित कर रहे है तथा वे निरन्तर रूप से क्रियाशील है।

श्रम संघ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं उसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा दिनांक 09.03.2023 को सुना गया। प्रार्थना पत्र में दिये गये कारणों/स्पष्टीकरण से मैं सन्तुष्ट हूँ। वर्ष की समाप्ति पर रिर्टन प्रस्तुत नहीं करना एक मानवीय भूल मानकर मैं पी.पी.शर्मा, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रैड यूनियन एवम अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) राजस्थान, जयपुर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 1/आरटीयू/रिर्टन/ 2006-17/निरस्तीकरण/19/18931 दिनांक 16.7.2019 मे संलग्न सूची में अंकित श्रम संघ का नाम उक्त आदेश से विलोपीत करने एवं निरस्त किये गये पंजीयन को बहाल करने का आदेश देता हूँ। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

पंजीयन बहाल किये गये श्रम संघ का विवरण

क्र.सं.	श्रम संघ का नाम एवं पता	पंजीयन संख्या एवं दिनांक	आदेश दिनांक में अंकित क्रम संख्या
1.	ऑल राजस्थान कॉ-ऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसियेशन मार्फत दी राजस्थान कॉ-	आरटीयू/16/2011 दिनांक 25.05.2011	265

	ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय लालकोठी, नेहरू बालोद्यान के सामने, टोंक रोड़, जयपुर।		

पी.पी.शर्मा,
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रैड यूनियन,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.),
राजस्थान जयपुर ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।